इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 491] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 6 दिसम्बर 2016—अग्रहायण 15, शक 1938

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2016

क्र. 31038-वि.स.-विधान-2016.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 24 सन् 2016) जो विधान सभा में दिनांक 6 दिसम्बर, 2016 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २४ सन् २०१६

मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) विधेयक, २०१६.

मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण अधिनियम, १९८३ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, २०१६ है.

धारा २ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण अधिनियम, १९८३ (क्रमांक २९ सन् १९८३) की धारा २ में, उपधारा (१) में, खण्ड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(झ) "संकर्म संविदा" से अभिप्रेत है किसी भवन या अधिरचना (सुपरस्ट्रक्चर), बांध, मेड़, नहर, जलाशय, तालाब, झील, सड़क, कुआं, पुल, पुलिया, कारखाना, कर्मशाला, बिजलीघर, ट्रांसफार्मर अथवा राज्य सरकार या लोक उपक्रमों अथवा राज्य के निगमों के ऐसे अन्य संकर्मों के, जिन्हें कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, सन्निर्माण, उनकी मरम्मत या उनके अनुरक्षण से सम्बन्धित किसी संकर्म के, चाहे वह किसी भी प्रक्रम पर हो, निष्पादन के लिए कोई लिखित करार या आशय पत्र (लैटर ऑफ इंटेन्ट) अथवा कार्य आदेश (वर्क आर्डर) जो राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार के किसी पदधारी द्वारा अथवा लोक उपक्रमों या निगमों द्वारा अथवा ऐसे निगमों अथवा ऐसे लोक उपक्रमों के लिए तथा उनकी ओर से राज्य सरकार के किसी पदधारी द्वारा किया गया है अथवा जारी किया गया है और इसमें सम्मिलित है माल या सामग्री की आपूर्ति के लिए कोई करार तथा उक्त कार्यों में से किसी भी कार्य के निष्पादन से संबंधित अन्य विषय और इसमें उपरोक्त कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए इस प्रकार भाड़े पर ली गई सेवाएं भी सम्मिलित हैं और इसमें राज्य सरकार या लोक उपक्रमों या निगमों द्वारा इस प्रकार किए गए समस्त रियायती करार भी सम्मिलित होंगे भले ही उनमें राज्य की सहायता सम्मिलित हो अथवा न हो;".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

सिविल रिट याचिका क्रमांक ६५५७/२०१३ मेसर्स जबलपुर कॉरीडोर (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम मर्यादित और अन्य में उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश ने अपने आदेश दिनांक ४ दिसम्बर २०१३ में रियायती करार को संकर्म संविदा के अंतर्गत नहीं माना है, जिसके कारण किसी रियायती करार के अंतर्गत आने वाला विवाद माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, १९९६ (१९९६ का २६) के अधीन निबटाया जाता है. कई विभाग और सार्वजनिक उपक्रम उक्त अधिनियम के अधीन मध्यस्थ को शुल्क के भुगतान के लिए और मध्यस्थों की बैठक कराने के लिए भारी धन राशि खर्च कर रहे हैं. साथ ही ऐसे विवादों के निबटारें के लिए कोई एकरूप व्यवस्था नहीं है. अतएव, मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण अधिनियम, १९८३ (क्रमांक २९ सन् १९८३) में "संकर्म संविदा" की परिभाषा को स्थापित किया जाना प्रस्तावित है जिससे कि पद "संकर्म संविदा" के अंतर्गत "रियायती करार" को सम्मिलित किया जा सके.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २४ नवम्बर, २०१६.

रामपाल सिंह
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) विधेयक, २०१६ के खण्ड २ द्वारा विधायिनी शक्ति का प्रत्यायोजन किया जा रहा है, जिसके अनुसार राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकार या लोक उपक्रमों या राज्य के निगमों के अन्य संकर्मों को ''संकर्म संविदा'' की परिधि में विनिर्दिष्ट कर सकेगी.

उक्त प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का होगा.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.